न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :—गितेश श्री मालवीय, आर.ए.एस.

1. प्रकरण संख्या 52/2017 (उदयपुर आर्डर)

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर(राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

श्रीमती शम्भूदेवी पत्नी ओमप्रकाश चपलोत, 377 K-1, भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्ट

2. प्रकरण संख्या 53/2017 (उदयपुर आर्डर)

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर(राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

रमेशचन्द्र रामस्वरूप विजयवर्गीय, 66 पंचशील मार्ग, प्रथम मंजिल, उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्ट

3. प्रकरण संख्या 63/2017 (उदयपुर आर्डर)

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर(राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

रमेशचन्द्र रामस्वरूप विजयवर्गीय, 66 पंचशील मार्ग, प्रथम मंजिल, उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्ट

4. प्रकरण संख्या 64/2017 (उदयपुर आर्डर)

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर(राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

हरकलाल पिता मोतीलाल दुग्गड़, 191 Q-रोड़, भुपालपुरा उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्ट

5. प्रकरण संख्या 65/2017 (उदयपुर आर्डर)

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर(राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

श्रीमती शम्भूदेवी पत्नी ओमप्रकाश चपलोत, 377 K-1, भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:11:18 IST
Reason: SelfAttested

6. <u>प्रकरण संख्या 60/2021 (उदयपुर आर्डर)</u>

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर(राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

एन.जी नायक पिता जी.एन. नायक, निवासी 345, भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्ट

अपीलें अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्धनिर्णय उपखण्ड अधिकारी (भूमि रूपान्तरण) द्वितीय,उदयपुरदिनांक 10–03–1998 प्रकरण संख्या क्रमशः 149/1997,218/1996,150/1997,148/1997,147/1997,144/1997

———::———

<u>उपस्थित</u> :– 1–श्री कमलेश चौहान अभिभाषक अपीलान्ट

2–श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

———::———

<u>निर्णयदिनांक18–07–2023</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (भूमि रूपान्तरण) द्वितीय, उदयपुर ने अपने आदेश दिनांक 10–03–1998 से ग्राम गोवर्धन विलास स्थित आराजी नंबर 300 व 301 में से विवादित कृषि भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण की स्वीकृति दी, जिससे रूष्ट होकर तहसीलदार गिर्वा द्वारा न्यायालय हाजा में उक्त अपीलें प्रस्तुत की गयी, जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30–03–2009 व दिनांक 12–07–2011 से तहसीलदार गिर्वा की अपीलें स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का उक्त रूपान्तरण आदेश दिनांक 10–03–1998 निरस्त कर दिया एवं भूमि पुनः मूल खातेदार के नाम कृषि भूमि तालाब पेटा के रूप में पूर्व की भांति यथावत रखने का आदेश दिया।

न्यायालय हाजा के उक्त निर्णय दिनांक 30–03–2009 व 12–07–2011 से रूष्ट होकर उक्त अपीलें माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत हुई, जिस पर माननीय राजस्व मण्डल ने उभयपक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 18–04–2017 व 12–01–2021 से उक्त अपीलें स्वीकार कर प्रकरण न्यायालय हाजा में इस निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपील में प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 व धारा 96 को सर्वप्रथम निर्णित करने के पश्चात् दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:11:18 IST
Reason: SelfAttested

माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के उक्त रिमाण्ड आदेश दिनांक 18–04–2017व 12–01–2021की पालना में उक्त अपीलें पुनः दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। अभिभाषक उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है।

उक्त समस्त अपीलों की विषय वस्तु एवं कानूनी बिन्दु समान होने से सभी छः अपीलों का एक साथ निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली में संलग्न की जावे।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के रिमाण्ड निर्णय की पालना में सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. पर उभयपक्षों को सुनकर विधिवत सुनवाई की गयी एवं नियमानुसार निर्णय पारित किये गये।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर बहस करते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बताया कि अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02–08–2004 द्वारा जारी निर्देश की पालना में राजस्व रेकार्ड की छानबीन करने पर पता चला कि उक्त भूमि पेटा तालाब/भराव क्षेत्र में है। राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 20–09–2006 के अनुसरण में नदी, नाले, तालाब की भूमि पर पारित संपरिवर्तन आदेश की संविक्षा करवाने के पश्चात् उक्त अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर अपीलें अंदर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षी ने उक्त बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि तालाब पेटे की भूमि नहीं है, न ही यहां कोई पानी भरता है तथा यह तालाब के पीछे की जमीन है तथा उसमें तालाब फुल होने पर केवल पाल से रिस कर मामूली पानी आता है, जिससे यहां बराबर फसलें होती हैं। इस भूमि पर 16 प्लॉट बनाकर नक्शा डिप्टी टाउन प्लानर से स्वीकृत करवाया गया है तथा यू.आई.टी. से भी नक्शा एप्रुव्ड होने के बाद स्वयं तहसीलदार की मौजूदगी में रूपान्तरण आदेश पारित किये गये हैं। अपीलान्ट द्वारा करीब 9 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से उक्त अपील प्रस्तुत की गयी है, जिसका कोई युक्ति–युक्त कारण अपीलान्ट द्वारा नहीं बताया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:11:18 IST
Reason: SelfAttested

अपीलें इसी स्तर पर खारिज फरमाई जावें। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किये। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2014 (2) Page 1331 (SC), RRT 2013 (2) Page 887 (SC) प्रस्तुत की।

अपीलान्ट द्वारा अन्तर्गत धारा 5 कानून मयाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं रेस्पोन्डेन्ट की तरफ से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी भूमि रूपान्तरण आदेश दिनांक 10–03–1998 को पारित किया गया, जिसकी अपील दिनांक 01–07–2018 को दर्ज की गयी। इस प्रकार अपील प्रार्थना पत्र काफी विलम्ब से पेश होना पाया गया। इस विलम्ब का कारण अब्दुल रहमान प्रकरण के निर्देश व जिला कलक्टर महोदय द्वारा प्राप्त निर्देश बताये गये। यह उल्लेखनीय है कि अब्दुल रहमान प्रकरण में निर्देश है कि सन् 1947 की नदी, नाले, तालाब की स्थिति पुनः बहाल की जावे एवं वादग्रस्त आराजियात भी किस्म पेटा मुमकिन है एवं जल भराव से जनधन हानि की संभावना व्यक्त की गयी है। यहां यह महत्वपूर्ण प्रश्न प्रकट होता है कि वादग्रस्त भूमि जल संरचना के भराव क्षेत्र में अथवा तालाब के पेटा में स्थित होकर डूब क्षेत्र में आती है ? अथवा नहीं ? और उक्त वादग्रस्त आराजी अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित है ? अथवा नहीं ? इस महत्वपूर्ण विषय के समक्ष अपील पेश करने में विलम्ब का प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में अपील गुणावगुण पर निर्णित किया जाना आवश्यक है। अतः विलम्ब को क्षम्य कर अपील के गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने हेतु आदेश दिया जाता है।

माननीय राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट/प्रार्थी ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के परोक्ष में जो निर्णय पारित किया गया है, उसमें अपीलान्ट पक्षकार नहीं था। उक्त भूमि में अपीलान्ट के स्वत्व हित व अधिकार निहित है। अतः धारा 96 जा.दी. के प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलें प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षी ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित करने के पूर्व राज्य सरकार के कर्मचारी तहसीलदार द्वारा उक्त भूमि संबंधित सम्पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता था कि वे अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। विवादित भूमि में अपीलान्ट के कोई हित अधिकार निहित नहीं है

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:11:18 IST
Reason: SelfAttested

ऐसी स्थिति में उन्हें अपीलें प्रस्तुत करने की स्वीकृति नहीं दी जा सकती। अतः धारा 96 जा.दी. के प्रार्थना पत्र खारिज किये जाकर अपीलें इसी स्तर पर खारिज फरमाई जावें। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किये। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2006 (1) Page 531, AIR 2003 (SC) Page 1989 प्रस्तुत की।

पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अपीलान्ट द्वारा अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील में अपीलान्ट संयोजित किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में प्रकरण भू–उपयोग संपरिवर्तन आदेश को निरस्त कराने से संबंधित है और अब्दुल रहमान प्रकरण में प्रदत्त निर्देशों की पालना में प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त आराजी को गोवर्धन सागर तालाब के डूब क्षेत्र में होना दर्शित किया गया है। रेस्पोन्डेन्ट की तरफ से प्रस्तुत जवाब व बहस में बताया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में समस्त तथ्य गलत हैं, भूमि तालाब पेटे में स्थित नहीं है। डूब क्षेत्र में नहीं आती है तथा संपरिवर्तन आदेश की जानकारी तहसीलदार को थी। अतः पक्षकार बनने योग्य नहीं हैं।

हमने तथ्यों का विवेचन कर पाया कि अपील में महत्वपूर्ण तथ्य निहित है और प्रश्न वादग्रस्त आराजियात का आबादी के रूप जल भराव क्षेत्र में उपयोग से संबंधित है, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय अब्दुल रहमान बनाम सरकार में प्रदत्त निर्देशों की अवहेलना का प्रश्न भी निहित है। इस महत्वपूर्ण विषय को निर्णित करने हेतु अपीलान्ट को पक्षकार संयोजित करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट को पक्षकार संयोजित करने का आदेश दिया जाता है।

प्रकरण के गुणावगुण पर बहस करते हुएविद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया किविवादित भूमि तालाब के भराव क्षेत्र में स्थित है तथा भविष्य में अतिवृष्टि होने पर विवादित भूमि में पानी भर जायेगा एवं भराव क्षेत्र होने के कारण उक्त भूमि आबादी अथवा अन्य प्रयोजनार्थ काम में नहीं आ सकेगी। अगर भूमि आबादी काम में ली जाती है तो जनहानि होने की संभावना है। राजस्थान भूमि रूपान्तरण नियम (नगरीय) 4 ख के अनुसार भू परिवर्तन लोकनीति या शिष्टता और नैतिकता के स्वीकृत मानों के विपरीत हो या जिससे जनस्वास्थ्य, स्वच्छता या सुरक्षा को खतरा हो, तो ऐसी भूमियों का रूपान्तरण प्रतिबंधित है। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 02–08–20[illegible] को आदेश पारित किया कि अगस्त 1947 की नदी, नाले, तालाब की स्थिति पुनः बहाल करने की कार्यवाही की जावे। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:11:18 IST
Reason: SelfAttested

अपीलें स्वीकार कर माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशदिनांक 02–08–2004 की पालना में अधिनस्थ न्यायालय का संपरिवर्तन आदेश दिनांक 10–03–1998 निरस्त किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि विवादित भूमि पर प्लॉट बने होकर वरिष्ठ नगर नियोजक की राय से उक्त संपरिवर्तन आदेश पारित किये गये हैं। नगर नियोजक ने नक्शा पास किया है तथा नगर विकास प्रन्यास द्वारा पट्टे जारी कर सड़के बनायी गयी हैं व विद्युत पोल लगाये गये हैं। रूपान्तरण आदेश तहसीलदार स्वयं की सहमति से पारित किया गया है। जिस आदेश के विरूद्ध कोई अपील लाई नहीं होती है। अतः अपीलें मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर AIR 1995 (SC) Page 1205 प्रस्तुत की।

पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अपीलान्ट द्वारा अपील में निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में रेस्पोन्डेन्ट के आवेदन पर उपखण्ड अधिकारी उदयपुर द्वारा दिनांक 10–03–1998 में भू सम्परिवर्तन आदेश जारी कर पट्टे जारी किये गये हैं। उक्त भूमि जलग्रहण ढांचा गोवर्धन विलास तालाब के भराव क्षेत्र में स्थित है, जिससे पानी भरने की स्थिति में आबादी प्रयोनजार्थ काम में नहीं आ सकती है और जनहानि की संभावना है। इससे तालाब की भराव क्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ेगा एवं प्रदूषण की समस्या पैदा हो सकती है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश में भी सन् 1947 में नदी, नाले, तालाब की स्थिति पुनः बहाल करने के निर्देश हैं। जिला कलक्टर महोदय द्वारा भी दिनांक 20–09–2006 को इस विषय में अपील में निर्देश दिये हैं। अतः पूर्वोक्त भू सम्परिवर्तन आदेश निरस्त योग्य है।

दौराने बहस वकील रेस्पोन्डेन्टद्वारा बताया गया कि वादग्रस्त आराजी संख्या 300, 301 रेस्पोन्डेन्ट की खातेदारी की भूमि थी, जिसमें विधिवत आवेदन कर दिनांक 10–03–1998 में भू उपयोग परिवर्तन करवाकर पट्टा जारी करवाया। इसके बाद इसमें निर्माण कार्य भी करवाया और कभी भी पानी नहीं भरा। उक्त भूमि डूब क्षेत्र में नहीं आती है। इसमें नगर विकास प्रन्यास द्वारा रोड़ बनाई गई है, बिजली के पोल, टेलीफोन के कनेक्शन किये गये हैं। सम्परिवर्तन सभी प्रकार की जांच के बाद विधिवत रूप से पारित किया गया है। उक्त प्रकरण में अपील भी जानबूझकर देरी से पेश की गई और अपीलान्ट को सम्परिवर्तन आदेश की सारी जानकारी थी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार न किये जा सकते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:11:18 IST
Reason: SelfAttested

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि संवत् 2050 से 2053 की जमाबन्दी में वादग्रस्त आराजियात की किस्म ''काली पे. मु.'' दर्ज थी। पत्रावली पर संलग्न न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा इसी प्रकरण में दिनांक 30–03–2009 को निर्णय पारित किया गया है, जिसमें भी पीठासीन अधिकारी द्वारा अग्रलिखित विश्लेषण किया गया–''राजस्व ग्राम गोवर्धन विलास की आराजी नंबर 300 व 301 की किस्म जमाबन्दी में पेटा मुमकिन अंकित है तथा मौके पर भी यह भूमि तालाब का ही हिस्सा है। मौका निरीक्षण दिनांक 16–03–2009 को भी इस भूमि में पानी भरा हुआ था तथा कुछ हिस्से में कीचड़ एवं दलदल था। इस भूमि में स्थित तालाब को फूटा तालाब के नाम से जाना जाता है तथा इसकी पाल पर पक्की सड़क बना दी गई है। जमीन नीची है तथा वर्षो से इस भूमि पर पानी इकट्ठा होता रहा है। इस रूपान्तरण पत्रावली में भूमि रूपान्तरण हेतु एन.ओ.सी. बाबत् 14–01–1998 की बैठक में लिए गये निर्णय अनुसार (रिपोर्ट पटवारी) उपखण्ड अधिकारी भूमि रूपान्तरण ने रूपान्तरण आदेश पारित किया है। इस बैठक में नगर विकास प्रन्यास का प्रतिनिधि प्रस्तावित भूमि अवाप्ति में नहीं होने एवं नगर विकास प्रन्यास की किसी योजना में सम्मिलित नहीं होने के बाबत् एन.ओ.सी. देता है और नगर नियोजक विभाग का डि.टी.पी. भूउपयोग तथा मास्टर प्लान बाबत् एन.ओ.सी. देता है। नगर नियोजक विभाग ने इस भूमि का भूउपयोग आवासीय निर्धारण कर रखा है उसी आधार पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी आदेश से वादग्रस्त आराजियात को आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित कर दिया, लेकिन मौके पर पानी भरने, तालाबी काली मिट्टी होने, मौके पर भूमि तालाब का पेटा ही होने एवं भूमि की किस्म पेटा मुमकिन अंकित होने एवं यह भूमि फूटा तालाब नामक तालाब के पेटे की भूमि होने के कारण अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भूमि रूपान्तरण द्वारा जारी रूपान्तरण आदेश दिनांक 10–03–1998 निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में पुनः मूल खातेदार के नाम पर कृषि भूमि तालाब पेटा के रूप में पूर्व की भांति यथावत दर्ज की जावे।''

इस विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि भूमि तालाब पेटा में स्थित है। अपील को गुणावगुण पर सुना जाना आवश्यक होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. को स्वीकार कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त दोनों प्रार्थना पत्र पूर्व आदेशानुसार स्वीकार किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:11:18 IST
Reason: SelfAttested

इसके साथ ही भूमि रिकार्ड में वादग्रस्त आराजियात ''काली–पेटा मुमकिन'' अंकित है जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि किसी तालाब या जल संरचना के पेटा का हिस्सा है। अपीलान्ट द्वारा अब्दुल रहमान प्रकरण के निर्देशों का हवाला दिया है। अब्दुल रहमान प्रकरण में स्पष्ट निर्देश हैं कि सन् 1947 में नदी, नालों, तालाबों की स्थिति पुनः बहाल की जानी है। अतः ऐसी भूमियों का चिन्हींकरण कर इसके विरूद्ध कार्यवाही करना तहसीलदार की अधिकारिता में आता है। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अपील मेमों के कथनों को गलत बताया परन्तु ऐसा कोई सबूत तथ्य या दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे साबित हो सके कि उक्त भूमि तालाब पेटे में स्थित नहीं है और यहां जल भराव की समस्या नहीं हो सकती है।

यहां प्रमुख तथ्य यह है कि वादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में सम्परिवर्तन आदेश दिनांक 10–03–1998 को जारी किये गये हैं, जबकि जनहित याचिका क्रमांक 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिनांक 02–08–2004 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया है और सन् 1947 की स्थिति की बहाली का आदेश दिया गया है। अतः दिनांक 10–03–1998 में पारित आदेश के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना उचित है चाहे उपखण्ड अधिकारी द्वारा विधिवत् आदेश पारित किया गया है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (भूमि रूपान्तरण) द्वितीय, उदयपुर केप्रकरण संख्या149/1997,218/1996,150/1997,148/1997,147/1997,144/1997में पारित संपरिवर्तन आदेश दिनांक 10–03–1998 निरस्त किये जाते हैं तथा आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में पुनः मूल खातेदार के नाम पर कृषि भूमि किस्म ''काली पे.मु.''पूर्व की भांति यथावत दर्ज की जावे। निर्णय आज दिनांक 18–07–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:11:18 IST
Reason: SelfAttested